तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा डूला रेगर बनाम अमरचन्द्र रेगर किस्म मुकदमा 212 नं. 107/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जा
29/11/23	पत्रावली पेश हुई। अभिवादी, प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य राज्य कार्य में व्यस्त/~~दौरे पर~~/अवकाश में..........है। अतः पत्रावली दि. 26/2/24 को पेश हो। आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी	
28/2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिवादी, प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में व्यस्त/~~दौरे पर~~/अवकाश में..........है। अतः पत्रावली दि. 25/4/24 को पेश हो। आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी	
25/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिवादी, प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर/अवकाश में..........है। अतः पत्रावली दि. 6/6/24 को पेश हो। आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी	
06.06.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रसारित है। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण का मेरिट्स पर अध्ययन किया गया। प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण विवादित आराजीयात जो कि प्रा.पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित है जिसके सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार दूसरे के विरुद्ध T.I. प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष होना नहीं पाया गया। जहां तक सुविधा का सन्तुलन होने का प्रश्न है वह भी दोनो पक्षकारों का समान है किन्तु अजनबी क्रेता की स्थिति में प्रार्थी को असहजता होना स्वाभाविक है। अपूरणीय क्षति जैसा भी कोई तथ्य प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया गया। लिहाजा अजनबी पक्षकार का मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात में प्रवेश की सीमा तक प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि मूल राजस्व वाद सं. 101/2017 के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति विपक्षी सं. 13 बनाये रखें किन्तु दोनों पक्ष अपने-2 हिस्से की भूमि का विक्रय, रहन हेतु स्वतन्त्र होंगे तथा मूल वाद (राजस्व) के विचारण होने का तथ्य अपने 2 दस्तावेज विक्रयपत्र इत्यादि में उल्लेख करेंगे। अन्य अनुतोष अस्वीकार किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला शाहपुरा	